

सफलता केवल मंजिल तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में छिपी होती है।

02 बेहतर नौद के लिए 8 सरल स्ट्रेचिंग अभ्यास - सोने से पहले शरीर को ढीला करें, मन को

06 प्रिंसिपल मजबूत विद्यालय समुदाय कैसे बनाते हैं

08 आईआईटी आईएसएम विकसित अर्थन डैम निर्माण क्षेत्रों तकनीकी को मिला पेटेंट

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुँचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुँचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गुंजेगी पूरी दुनिया में परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।



संजय बाठला
मुख्य संपादक

“परिवहन विशेष समाचार पत्र द्वारा जनहित में जारी राजपत्रित अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना S. O. 4353 दिनांक 2022 की सच्चाई प्रस्तुत करने का प्रयास

जनता से हो रही छोटी लूट पर लगाम पर बड़ी लूट का रास्ता सुगम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना S. O. 4353 दिनांक 2022 किसकी बेहतरी में जनता या वाहन माफिया (वाहन स्कैप डीलर / पुराने वाहन विक्रेता डीलर)

परिवहन विशेषज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर उठाए गए सवाल और जवाबों द्वारा आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत

लेख एवं विश्लेषण प्रस्तुतकर्ता :-

संजय कुमार बाठला

* प्रधान संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र

* चेयरमैन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड

लेबर वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत

* चेयरमैन टैपल आफ लिबरलाइजेशन

एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

* पूर्व छात्र नेता दिल्ली विश्वविद्यालय

(1979 - 1982)

* समाजसेवक एवं परामर्शदाता

भारत देश की जनता को संविधानिक अधिकारों में यह जानने का पूरा हक है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें जनहित का नाम लेकर जो नियम / अधिनियम / कानून / आदेश जारी कर रहे हैं वह सच्चाई में कितने जनहित में हैं, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस राजपत्रित अधिसूचना के लागू होने पर हम इसकी चर्चा कर इससे उत्पन्न होने वाले जनता को फायदे और नुकसान के साथ साथ होने वाले नुकसानों पर कैसे रोक लग सकती हैं प्रस्तुत कर रहे हैं।

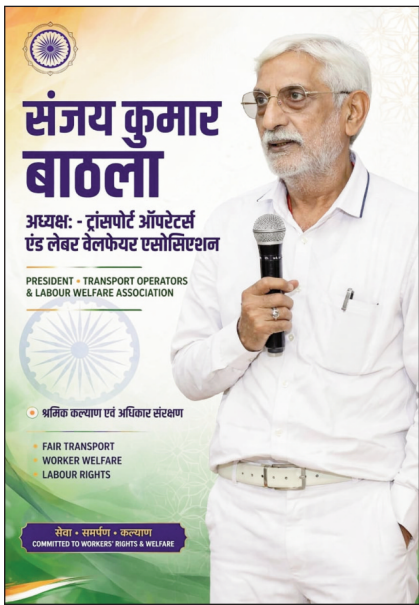
यह मुद्दा भारत देश के सभी नागरिकों से जुड़ा है इसलिए इसकी जानकारी और विश्लेषण जरूरी है, इस मुद्दे पर उठाए गए सवाल और जवाब

1. सवाल मोटर वाहन नियम अधिनियम में क्या किसी भी प्रकार से की ही यह प्रावधान है कि पंजीकृत वाहनों के नाम का हस्तांतरण बिना किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी के वाहन पोर्टल कर सकता है ? जवाब हाँ, अब ऐसा प्रावधान है - और यह 2026 में पूरे देश में लागू हो गया है।

पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 और केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 55, 56, 57 के तहत नाम हस्तांतरण (Transfer of Ownership - TO) के लिए RTO अधिकारी की मैन्युअल जाँच जरूरी थी। फॉर्म 29, 30 पर हस्ताक्षर, फिजिकल वेरिफिकेशन, MVI इंस्पेक्शन करता था। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Vahan 4.0 सॉफ्टवेयर में Faceless / Auto-Approval मॉडल लागू किया है।

2. सवाल इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ? जवाब 22 सितंबर 2026 को केरल में यह 100% लागू हो गया है, और दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, सहित कई राज्यों में लागू हो चुका है। "Vehicle ownership transfers in Kerala go fully automated via the Vahan software, eliminating official intervention and middlemen... moving towards an automated approval, auto-approved model."

केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 से आधार अनिवार्य कर दिया है - "Aadhaar mandatory for transferring vehicle ownership across the country... OTP sent to the



mobile number registered with the owner's Aadhaar”

3. सवाल बिना अधिकारी के हस्तांतरण कैसे होता है ? - पूर्ण प्रक्रिया

जवाब यह सुविधा Vahan

Citizen Portal:

https://vahan.parivahan.gov.in पर है।

शर्तें (Auto-Approval के लिए):

महाराष्ट्र के Faceless Transfer के मॉडल के अनुसार:

1. Individual Ownership, Non-Transport Vehicle, Non-

Hypothecated (फाइनेंस न हो)

2. वाहन रिकॉर्ड में मालिक का पूरा नाम आधार के नाम से 100% मैच करे

3. पिता/पति का नाम भी आधार से मैच करे

4. Vahan में दर्ज मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो

5. पिनकोड भी आधार के पते से मैच करे

6. क्रेता-विक्रेता दोनों एक ही राज्य के हों

7. वाहन का रिकॉर्ड आधार से e-KYC लिंक हो

प्रक्रिया:

स्टेप 1 - Seller द्वारा:

- Vahan पोर्टल > Online Services > Vehicle Related Services > Transfer of Ownership

- गाड़ी नंबर डालें > चेसिस के अंतिम 5 अंक से Authenticate करें

- Seller का Aadhaar Authentication OTP से

स्टेप 2 - Form Auto-Generation:

अब Form 29 और 30 मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं। सिस्टम Vahan और Aadhaar डेटाबेस से खुद फॉर्म बना देता है और e-Sign हो जाता है। J&K में यह स्पष्ट किया गया - "Form 29 and Form 30 are automatically generated by retrieving relevant information from VAHAN and Aadhar databases"

स्टेप 3 - Buyer द्वारा:

- Seller द्वारा दर्ज आवेदन नंबर Buyer के आधार लिंक मोबाइल पर जाता है

- Buyer पोर्टल पर उसी नंबर से लॉगिन करके अपना Aadhaar OTP Verification करता है

स्टेप 4 - Auto-Approval:

अगर सभी डिटेल्स मैच हुई तो फाइल किसी अधिकारी के पास नहीं जाती। सॉफ्टवेयर खुद Approve कर देता है।

“Previously, decisions on Aadhaar-based applications were made by officials, but that responsibility has now been handed over to the software instead.”

RC प्रॉटीग का SMS आ जाता है और DigiLocker / mParivahan में Digital RC डाउनलोड हो जाती है।

4. सवाल अगर डिटेल्स मैच नहीं हुई तो क्या होगा ?

जवाब पोर्टल में Multi-Stage Verification है। If the Aadhaar information matches... request can be processed online without additional steps. However... if discrepancies are detected... multi-stage verification”

उस स्थिति में:

- e-KYC करना होगा - RC और आधार की कॉपी अपलोड करें

- अधिकारी 24 घंटे में e-KYC Approve करना

- उसके बाद अगली सभी सेवाएं बिना ऑफिस जाएंगी

जरूरी दस्तावेज (फेसलेस में):

- RC की फोटो, आधार, गाड़ी की आगे से फोटो, चेसिस नंबर की फोटो

- बीमा, PUC

निष्कर्ष - हाँ, कानून में अब बिना अधिकारी के हस्तांतरण का प्रावधान है। यह धारा 50 का ही डिजिटल क्रियान्वयन है, जिसे MoRTH ने Faceless Service के तहत लागू किया है। इसका उद्देश्य दलाली और रिश्वत खत्म करना है - ‘Eliminating official intervention completely removes scope for complaints... Opportunities for bribery and irregularities will be entirely eliminated’

अगर आपका आधार, मोबाइल, नाम, पता सब Vahan रिकॉर्ड से लिंक है तो आप घर बैठे 10 मिनट में नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना किसी अधिकारी या दलाल के।

6. सवाल इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि अब तकनीकी कार्यों को करने के लिए तकनीकी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाहन पोर्टल ही वह सभी कार्य अब कर सकता है जिसके लिए तकनीकी अधिकारी की आवश्यकता होती थी ?

जवाब यही वह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर

आज पूरा परिवहन विभाग बहस कर रहा है। सीधा उत्तर: हाँ और नहीं, दोनों।

तकनीकी रूप से क्या बदला है ?

पहले की व्यवस्था (धारा 213 MV Act के तहत): हर काम के लिए Motor Vehicle Inspector (MVI) / तकनीकी अधिकारी की मुहर जरूरी थी।

- चेसिस नंबर का मिलान

- फॉर्म 29, 30 पर हस्ताक्षर की जाँच

- NOC असली है या नकली

- बैंक का NOC आया है या नहीं

यह सब आदमी करता था, इसलिए देरी, दलाली और रफाइल दबावा होता था।

अब की व्यवस्था (Vahan Auto-Approval): सरकार ने इसी मानवीय जाँच को Data-Based Verification में बदल दिया है।

“The online interface interacts among banks, ULI and the Vahan system. So, the entire process, including the verification, happens without any human intervention.”

मतलब:

- चेसिस मिलान - Vahan डेटाबेस खुद करेगा

- बैंक NOC - बैंक का सर्वर RBI के ULI के जरिए सीधे Vahan को बताएगा

- 'bank will issue a NOC directly to the owner, while the backend systems update the vehicle registration details automatically'

- आधार मिलान - UIDAI खुद करेगा

इसलिए केरल सरकार ने साफ लिखा - 'Ownership can now be transferred without any intervention from officials. The system is transitioning towards an automated approval, auto-approved model'

7. सवाल तो क्या तकनीकी अधिकारी की नौकरी खत्म ?

जवाब नहीं, भूमिका बदली है, खत्म नहीं हुई।

1. Vahan केवल कागजी तकनीकी कार्य कर सकता है, भौतिक तकनीकी कार्य नहीं।

- Vahan यह नहीं देख सकता कि चेसिस नंबर पर कटिंग-वैलिंग है या नहीं।

- गाड़ी चोरी की है या इंजन बदला है।

- सड़क पर चलने लायक है या नहीं (Fitness Test)।

इनके लिए आज भी MVI की फिजिकल Inspection अनिवार्य है।

2. अधिकारी अब Verifier से Auditor बन गया है। पहले अधिकारी हर फाइल का Gatekeeper था। अब Vahan Gatekeeper है। अधिकारी का काम है:

- जहाँ Aadhaar - Vahan मैच नहीं होता - वहीं 24 घंटे में e-KYC Approve करना।

- जहाँ सिस्टम में Fraud का अलर्ट आता है - वहीं जाँच करना।

- 'Multi-stage verification' वाले केस देखा।

3. कानून में अधिकारी का पद अभी भी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50(1) अभी भी कहती है - 'Transfer to be registered by Registering Authority'। सरकार ने Registering Authority की शक्ति को Vahan सॉफ्टवेयर को Delegate किया है, पद को समाप्त नहीं किया।

विशेष निष्कर्ष 50% सच है। जिन तकनीकी कार्यों में सिर्फ कागज देखा था - जैसे Transfer, HP Termination, Duplicate RC - उनके लिए अब तकनीकी अधिकारी की रोज-रोज की जरूरत नहीं है। Vahan ही Deemed Officer है।

लेकिन

जिन कार्यों में आँख से देखना, हाथ से जाँचना है - जैसे Fitness, चेसिस की भौतिक जाँच, दुर्घटना जाँच, ओवरलोडिंग - वहाँ Vahan कुछ नहीं कर सकता। वहाँ MVI ही अंतिम अधिकारी है।

सरकार की मंशा अधिकारी हटाना नहीं, बल्कि 'जहाँ आदमी की जरूरत नहीं, वहाँ आदमी न हो, ताकि जहाँ आदमी की सच में जरूरत है, वहाँ वह पूरा समय दे सके' है।

इसीलिए 40% काम जो Transfer का था - 'Ownership transfers constitute nearly 40 percent of all applications' - वह Auto होने से RTO का बोझ कम होगा और भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होगा - 'Opportunities for bribery and irregularities will be entirely eliminated'

तो तकनीकी अधिकारी की जरूरत खत्म नहीं, बल्कि ज्यादा ईमानदार और ज्यादा तकनीकी हो गई है।

8. सवाल इस प्रक्रिया से यह बात तो सिद्ध होती है कि अब दलाली पर रोक लगनेगी पर क्या इस प्रक्रिया से चोरी वाहनों एवं अन्य प्रकार से नष्ट हुए वाहनों के लिए चालाक प्रवृत्ति के लोग चेसिस नंबर खुदवाकर या गलत तरीके से प्रयोग कर ऐसे वाहनों का हस्तांतरण और गलत वाहनों के निर्माण में कामयाब नहीं हो जाएंगे ?

* क्या उस पर इस प्रक्रिया में इस के प्रति कोई रोक का तरीका है ?

जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक सवाल - यही सवाल आज MoRTH की हर मीटिंग में उठ रहा है। दलाली तो रहेगी, पर क्या तकनीक के नाम पर चोर-बाजारी के लिए नया दरवाजा खुल जाएगा ?

सीधा जवाब: खतरा है, पर इस नई प्रक्रिया में उस खतरे को रोकने के लिए 4-स्तरीय सुरक्षा (4-Layer Security) भी जोड़ी गई है। अगर वह सुरक्षा फेल हुई तो आप जैसा कह रहे हैं, वैसा ही होगा।

1. पहला खतरा जो आप कह रहे हैं, वह क्या है ?

चालाक लोग क्या कर सकते हैं:

- चोरी की गाड़ी: चेसिस नंबर पर

घिसकर दूसरा नंबर पंच करना (Cut & Shut) और Vahan पर Auto-Transfer कर लेना।

- नष्ट/कबाड़ गाड़ी: बाढ़, आग में जली गाड़ी जिसे RVSF में कटना चाहिए, उसे चेसिस बदलकर फिर से जिंदा दिखा देना।

- कट-पेस्ट गाड़ी: दो एक्सीडेंट गाड़ियों को जोड़कर एक गाड़ी बनाना और फर्जी RC पर बेचना।

पहले MVI आँख से चेसिस देखता था, टॉर्च मारकर जाँचता था। अब तो कोई अधिकारी ही नहीं, तो यह कैसे रहेगा ?

9. सवाल सरकार ने रोक के लिए क्या सिस्टम लगाया है ?

जवाब

लेयर-1: Vahan Samanvay + NCRB लिंक - चोरी का सबसे बड़ा ब्रेकर Vahan अकेला काम नहीं करता। वह NCRB के Vahan Samanvay System से जुड़ा है।

“The Vahan Samanvay web-based system boasts several features that facilitate effective communication between law enforcement agencies and transport departments. These features include: Stolen vehicle tracking, Fake vehicle registration number detection”

मतलब जैसे ही आप किसी गाड़ी का नंबर Vahan पर डालेंगे ट्रांसफर के लिए, सॉफ्टवेयर पीछे से NCRB के चोरी के डेटाबेस से मिलान करेगा। अगर गाड़ी चोरी की लिस्ट में है तो Application वहीं Auto-Reject हो जाएगी, किसी अधिकारी के पास जाएगी ही नहीं।

लेयर-2: RVSF (कबाड़ सेंटर) को भी NCRB वेरिफिकेशन अनिवार्य कबाड़ में जाने वाली गाड़ी के लिए भी यही नियम है।

“The RVSF shall be provided the necessary connectivity to verify the records of the vehicles brought for scrapping with the database of the stolen vehicles held by NCRB as well with the local Police. It would be obligatory on the part of the RVSF to carry out such verification before scrapping a vehicle”

Application for vehicles failing any of these checks shall not be submitted... no criminal record against the vehicle in records of the NCRB, no pending dues, and no record of blacklisting”

तो जो गाड़ी नष्ट घोषित हो गई, उसका RC Vahan में रैस्क्रैप्ड लॉक हो जाता है, वह दोबारा Transfer हो ही नहीं सकती।

लेयर-3: फैक्ट्री से ही चेसिस लॉक - Form 22 और Type Approval अब डीलर मनमर्जी से RC नहीं बना सकता।

“VAHAN system provides a mechanism for the inventory of vehicles being uploaded by the vehicle manufacturers against valid type-approval certificates”

मतलब कंपनी फैक्ट्री में ही हर चेसिस-इंजन का डेटा Vahan में अपलोड करती है। अगर आपने चेसिस पर दूसरा नंबर पंच किया तो वह नंबर कंपनी के डेटाबेस में होगा ही नहीं, Vahan उसे Fake मान लेगा।

लेयर-4: KYV (Know Your Vehicle) - फोटो वेरिफिकेशन FASTag फ्रोंड के बाद सरकार ने KYV अनिवार्य किया है।

> KYV requires all vehicle owners to submit an image of their vehicle and registration certificate to verify that the FASTag is linked to the correct vehicle... Owners must upload their vehicle's RC, an image of the front, the FASTag, the vehicle registration number, and an image from the side”

अब Vahan Faceless Transfer में भी यही लागू हो रहा है - गाड़ी की आगे से फोटो और चेसिस की फोटो अपलोड करनी होगी। AI टूल उस फोटो में टैपिंग पकड़ेगा।

10. सवाल फिर खतरा कहाँ बचा है ? - परिवहन विशेष समाचार पत्र की चिंता

जवाब

खतरा अभी भी 2 जगह है:

1. पुरानी गाड़ियाँ (2018 से पहले Smart Move वाली): जिनका डेटा फैक्ट्री से Vahan में नहीं है। उनके लिए 'temporary mobile OTP option remains available' - यहाँ सबसे ज्यादा फर्जीबाड़ी होगा।

2. Aadhaar मैच न होने पर e-KYC: जहाँ नाम मैच नहीं, वहीं 24 घंटे में अधिकारी Approve करेगा। अगर वही अधिकारी मिला हुआ है तो वही पुरानी कहानी।

परिवहन विशेष की राय: - रोक का अंतिम तरीका क्या होना चाहिए ?

1. Auto-Approval केवल उन्हीं गाड़ियों में हो जिनका KYV और Factory Data दोनों मौजूद हों।

2. चेसिस फोटो का AI-OCR वेरिफिकेशन अनिवार्य हो, तब तक घिसा-पिटा नंबर पकड़ा जाए।

3. NCRB वेरिफिकेशन का स्टेटस Buyer को भी दिखे - 'This vehicle is clear from NCRB' का सर्टिफिकेट मिले।

निष्कर्ष: प्रक्रिया ने दलाली तो बंद की है, पर तकनीकी अधिकारी की आँख पूरी तरह बंद नहीं करनी चाहिए। Vahan को 90% कागजी काम करने दो, पर हर 10वें Transfer का Random Physical Audit MVI से जरूर कराओ - 'गलत वाहनों का निर्माण' - Auto-Approval की आड़ में सच हो जाएगा।





ध्यान देना चाहिए।
पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन
की ओर कदम
मिट्टी की प्रतिमाओं और

मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा के तहत जिला स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित

विद्यार्थियों ने चित्रों और भाषण के माध्यम से प्रस्तुत की विकसित भारत-2047 की परिकल्पना, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने किया प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 24 सितंबर

सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्यार्थियों को सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और विकसित भारत-2047 के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से वीरवार को झज्जर स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा मॉड्यूल अनुरूप जिला स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने चित्रों और प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से विकसित भारत के प्रति अपने विचार, सपने और संकल्प प्रस्तुत किए। डीईओ रतींद्र सिंह ने अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन किया।

चित्रों में उकेरी विकसित भारत की तस्वीर

चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वच्छ एवं सुंदर भारत, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक शिक्षा, तकनीकी विकास, आत्मनिर्भरता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, महिला सशक्तिकरण तथा देश की प्रगति जैसे विषयों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। रंगों और कल्पनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की अपनी सोच को कागज पर जीवंत किया।

भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों ने रखे विचार

भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विकसित भारत-2047, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, सेवा और



जनभागीदारी जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने भाषणों के माध्यम से बताया कि शिक्षा, नवाचार, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगे बढ़ने का किया आह्वान

इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों की रचनात्मक सोच और विचारशीलता देश के भविष्य की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ सेवा, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

जिलेभर में विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा अभियान से

सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले

के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों को भागीदारी से विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। 'मेरे सपनों का भारत—चित्र सेवा' जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विकसित भारत-2047 की परिकल्पना से जोड़ा जा रहा है। जिलाभर के विद्यालयों से करीब 500 विद्यार्थियों ने चित्रकलाभव

भाषण गतिविधि में भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है तथा भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और विचारों को व्यापक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर समाजसेवी नरेंद्र जाखड़, डीईओ रतिंद्र सिंह, डीपीसी अनिल शर्मा, बीईओ मातनहेल सुरेश पाल सुहाग, प्राचार्य रमेश कुमार व निमल कुमार, डॉ लाली, जिला लोगल लिटरेसी कॉर्डिनेटर कृष्ण वशिष्ठ, जय कुमार कौशिक, निमल रानी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हर पात्र व्यक्ति को तत्काल मिले सरकारी योजनाओं का लाभ : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला स्तरीय समाधान शिविर में सुनी आमजन की समस्याएं

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 24 सितंबर

आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और पात्र नागरिकों के तत्काल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान कही।

डीसी वर्षा खांगवाल ने समाधान शिविर में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक शिकायत से संबंधित विभाग के अधिकारी से वस्तुस्थिति की जानकारी ली और जहां संभव हुआ, वहां मौके पर ही समस्या के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया को भी प्रभावी ढंग से आगे



बढ़ाएं।

डीसी ने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों को केवल सुनना नहीं, बल्कि उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए अधिकारी प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए निर्धारित समयविधि में कार्रवाई करें और जिन मामलों का समाधान किसी अन्य विभाग से संबंधित है, उनमें आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई की जाए।

अंत्योदय की भावना के साथ प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही सरकार

डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ समय पर

पहुंचे। जिला प्रशासन इसी उद्देश्य को लेकर जनसमस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविर आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहते हैं, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान अधिक सरल और त्वरित तरीके से किया जा सकता है।

जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी

डीसी ने जनसुनवाई करते हुए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए। जिन शिकायतों का समाधान लंबित है, उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने

कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं को लेकर पूरी तरह सजग है और समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा लंबित मामलों को भी शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए हैं।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, जिला परिषद के सीईओ मनीष कुमार फौगाट, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बादली विशाल, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एमिनेंट पर्सन चुन्नी लाल सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

धान कटाई व मंडियों में आवक को लेकर जिलाधीश ने जारी किए आदेश

शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई पर रोक, मंडियों में निर्धारित समय पर ही पहुंचे किसान

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 24 सितंबर *

खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश इस वर्ष 23 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

नमी की अधिकता से बचने के लिए कटाई का समय निर्धारित

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जारी आदेश में कहा कि जिला में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि देर शाम, रात तथा सुबह के समय काटी गई धान की फसल में नमी अधिक होने की संभावना

रहती है, जिससे खरीद, सुखाने, भंडारण और उठान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

धान में 17 प्रतिशत तक नमी की सीमा

उन्होंने बताया कि खरीद केंद्र पर लाई जाने वाली धान की फसल निर्धारित खरीद मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। धान में नमी की सीमा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या संशोधित सीमा के अनुसार ही खरीद प्रक्रिया की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम एवं खेत की अनुकूल परिस्थितियों में परिपक्व धान की कटाई करें और आवश्यकता होने पर फसल को उचित रूप से सुखाकर खरीद केंद्र पर लाएं।

टोकन व निर्धारित समय के अनुसार ही मंडियों में प्रवेश

जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों का अनाज मंडियों एवं खरीद केंद्रों में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम, टोकन अथवा



प्रवेश-पत्र व्यवस्था के अनुसार ही होगा। किसान निर्धारित समय और वैध टोकन के आधार पर ही अपनी फसल लेकर संबंधित मंडी में पहुंचें। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों के लिए जहां उहराव स्थल निर्धारित किए गए हैं, वहां वाहन खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी।

सड़क और मंडी परिसर में जाम की स्थिति न बनने दें

जिलाधीश ने कहा कि खरीद के दौरान किसी भी ट्रैक्टर-ट्रॉली को सार्वजनिक सड़क, राजमार्ग, मंडी के

संपर्क मार्ग, आपातकालीन रास्ते अथवा मंडी के प्रवेश-निकास द्वार पर इस प्रकार खड़ा नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात बाधित हो। संबंधित मार्केट कमेटी, मंडी प्रशासन और पुलिस विभाग को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त टीमों के करीबी निगरानी

जिलाधीश की ओर से जारी आदेश अनुसार कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त टीमों आवश्यकता अनुसार निरीक्षण और निगरानी करेंगी। टीमों के बाइन हार्वेस्टर के संचालन, निर्धारित कटाई समय, फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी नियमों तथा मंडियों में धान की आवक व्यवस्था पर नजर रखेंगी। यह आदेश 23 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फसल अवशेष जलाने की बजाय मिट्टी में मिलाएं किसान : डीसी



परिवहन विशेष न्यूज

*झज्जर, 24 सितंबर *

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक को लेकर प्रशासन सतर्क है। फसल अवशेषों को जलाने से न केवल पर्यावरण दूषित होता है, साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में सक्रिय रहते हुए नियमित मोनिटरिंग करें। इसके साथ ही किसान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीमों अपनाएं।

डीसी गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर मुख्य सचिव हरियाणा के साथ वीसी उपरोक्त अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक

में डीसी ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान की पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। किसानों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हुए उन्हें जागरूक किया जाए और फसल अवशेष प्रबंधन के साथ ही वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने भुवन एप और सीआरएम स्कीमों के बेहतर क्रियान्वयन पर बल देते हुए सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के चलते कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेषों को खेत में मिलाने में प्रति एकड़ 12 सौ रुपये की प्रोत्साहन

राशि प्रदान की जाती है, जिससे पराली प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में नियमित दौरे सुनिश्चित करें और जहां कहीं भी पराली जलाने की आशंका हो, वहां पहले से ही प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पंचायतों और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी के लिए जोड़ा जाए।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए पराली जलाने की समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन इस दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला में किसानों

को धान की पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जाए। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बादली विशाल, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, डीडीपीओ निशा तंवर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ डॉ सुनील कौशिक, एसएमएस डॉ देवेन्द्र सिंह, तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित वत्स सहित राजस्व, विकास एवं पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सेवा सेतु कैप आज लगेगा बेरी नगर पालिका में कैप के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है एक छत के नीचे

डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला में लगा रहे सेवा सेतु कैम्प

झज्जर, 24 सितंबर

सेवा संकल्प अभियान के तहत आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके नजदीक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सेवा सेतु कैम्प लगाए जा रहे हैं। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में लगे रहे सेवा सेतु कैम्प में लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मनीष फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 15 अक्टूबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर सेवा सेतु कैप लगाए जा रहे हैं।

सीईओ ने बताया कि 25 सितंबर को नगरपालिका बेरी में सेवा सेतु कैप आयोजित होगा। इसके बाद 26 सितंबर को झज्जर ब्लॉक मुख्यालय व गांव मांडोली, 28 सितंबर को गांव दुजाना, 29 सितंबर को गांव सिलाना तथा 30 सितंबर को बहादुरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कैप लगाया

जाएगा।

इसी क्रम में 1 अक्टूबर को गांव रोहद, 3 अक्टूबर को गांव दिग्दाल, 5 अक्टूबर को गांव दुवलधन, 6 अक्टूबर को बादली ब्लॉक मुख्यालय व मातनहेल ब्लॉक मुख्यालय, 7 अक्टूबर को गांव बुर्निया तथा 8 अक्टूबर को गांव गुमाना में सेवा सेतु कैप आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को गांव खानपुर खुर्द व गांव पाटोदा, 10 अक्टूबर को गांव बिरोहड़, 12 अक्टूबर को माछौली ब्लॉक मुख्यालय व गांव ढाकला, 13

अक्टूबर को गांव खुड़न, 14 अक्टूबर को साल्हावास ब्लॉक मुख्यालय तथा 15 अक्टूबर को गांव भुरावास में सेवा सेतु कैप आयोजित किए जाएंगे।

सीईओ मनीष फोगाट ने बताया कि सेवा सेतु कैप के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ नजदीकी स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, नागरिक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें भी इन कैम्पों में दर्ज करवाकर उनका समाधान करवा सकेंगे।

जमशेदपुर मेरिनड्राइव पर देर रात 2.30 बजे की घटना,चार जानें गयी झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी का सड़क हादसे मे निधन

जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह का निधन

दुःखद समाचार

हादसा जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर, खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुआ। इस भीषण हादसे में कुल 4 लोगों की मौत, जिसमें मंत्री की बेटी तृषा सिंह भी शामिल हैं।

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी समेत चार लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा गुरुवार की सुबह जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. हादसे की खबर मिलते ही मंत्री के परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई. राजनीतिक हलकों में भी घटना को लेकर दुख जताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, सभी लोग कार से बंगाल से जमशेदपुर लौट रहे थे. इसी दौरान मरीन ड्राइव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की छोटी

बेटी भी शामिल हैं. अन्य मृतकों की पहचान सार्थक, वंशिका और नमन गुप्ता के रूप में हुई है. हादसे के वक्त मंत्री दीपिका पांडेय सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र महगामा में थीं. घटना की जानकारी मिलने के बाद वह जमशेदपुर के लिए रवाना हो गईं. सीएम हेमंत सोरेन ने भी घटना पर दुख जताया है. उल्लेखनीय है कि दीपिका सिंह के पति रत्नेश्वर सिंह टाटा कंपनी में इंजीनियर है, वे जमशेदपुर में रहते हैं .उनके साथ उनकी छोटी बेटी तृषा सिंह भी रहती हैं. दीपिका सिंह का ससुर अवध बिहारी सिंह कभी बिहार में मंत्री रहे.वे पटना में रहते हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में साथी मंत्री और बहन दीपिका पांडेय सिंह की बेटी समेत अन्य

लोगों के निधन की खबर से वह बेहद व्यथित हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि संतान को खोने का दुख किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए शब्दों से परे है. उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और अन्य शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.साथ ही सपत्नीक उनके आवास पर पहुंचे

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि जमशेदपुर में एनएच पर हुए सड़क हादसे में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के निधन की खबर बेहद दुःखद है. उन्होंने कहा कि एक मां के लिए अपनी संतान को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. स्वास्थ्य मंत्री ने दिवंगत आत्माओं की

शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की भी कामना की. उधर विपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी आदि ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है .

मामले की जांच के लिए डीएसपी मनोज ठाकुर मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादसा सुबह करीब 2.30 से 3 बजे के बीच हुआ. कार में चार लोग सवार थे. हादसे में चारों की मौत हो गई. डीएसपी के अनुसार, वह कार से बंगाल से जमशेदपुर लौट रही थी. इसी दौरान उसकी टक्कर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से हो गई. टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल लाया जा रहा है. डीएसपी ने कहा कि हादसे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है।

BKPPER के लिए एकीकृत शहरी परिवहन ढांचा विकसित करने में ओडिशा सरकार के साथ एडीबी की साझेदारी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर :ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से “ओडिशा के लिए स्थायी शहरी परिवहन परिवर्तन योजना तैयार करना” विषय पर एक कार्यशाला आज खारवेल भवन में आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक और स्थायी शहरी परिवहन ढांचा तैयार करना है। इसमें क्षेत्रीय परिवहन योजना, सार्वजनिक बस सेवा के रूपांतरण तथा स्थायी शहरी परिवहन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह पहल ओडिशा विजन 2036 और विजन 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है। कार्यशाला में एडीबी टीम की ओर से इनसेप्शन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। BKPPER के लिए एकीकृत क्षेत्रीय परिवहन योजना, बस सेवा परिवर्तन रोडमैप तथा प्रस्तावित ओडिशा ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों और हितधारकों ने अपने विचार एवं सुझाव रखे। कार्यशाला की शुरुआत में आवास एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती उषा पांडी ने कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल केवल एक दस्तावेज तैयार करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी हितधारकों की भागीदारी से इसे एक प्रभावी और क्रियान्वयन योग्य ढांचे में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सेवकाल के शुरुआती दिनों में ओडिशा के एक दुर्गम क्षेत्र में अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए कहा कि परिवहन सुविधाओं की कमी लोगों की बुनियादी सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है। श्रीमती पांडी ने कहा कि परिवहन व्यवस्था लोगों की पहुंच, उत्पादकता और जीवन स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ओडिशा तेजी से हो रहे शहरीकरण के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दूरदर्शी और एकीकृत योजना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “आने वाले शहरीकरण के अगले चरण की नीति पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों और हितधारकों ने अपने विचार एवं सुझाव रखे। कार्यशाला की शुरुआत में आवास एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती उषा पांडी ने कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल केवल एक दस्तावेज तैयार करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी हितधारकों की भागीदारी से इसे एक प्रभावी और क्रियान्वयन योग्य ढांचे में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सेवकाल के शुरुआती दिनों में ओडिशा के एक दुर्गम क्षेत्र में अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए कहा कि परिवहन सुविधाओं की कमी लोगों की बुनियादी सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है। श्रीमती पांडी ने कहा कि परिवहन व्यवस्था लोगों की पहुंच, उत्पादकता और जीवन स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ओडिशा तेजी से हो रहे शहरीकरण के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दूरदर्शी और एकीकृत योजना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “आने वाले शहरीकरण के अगले चरण की

नारी अबला है या सबला? भोली है या लोभी? - सत्य यह है कि नारी भी पुरुष की तरह मनुष्य ही है, कोई देवी या राक्षसी नहीं

एकपक्षीय लिखना अधर्म होगा – सब महिलाओं को भोली कहना करुणा की अति है, सबको लोभी कहना निंदा की अति है, सत्य बीच में है

लेखिका पिंकी कुंडू नेत्री भाजपा

दोनों वृत्तियां एक साथ

* नारी अबला है या सबला ?

* भोली है या लोभी ?

सत्य यह है कि नारी भी पुरुष की तरह एक मनुष्य ही है, कोई देवी या राक्षसी नहीं। इसलिए उसमें दोनों वृत्तियां एक साथ रहती हैं। इस विषय पर एकपक्षीय लिखना अधर्म होगा, इसलिए दोनों पक्षों को समझना जरूरी है।

मुख्य बिन्दु 1: पहली सच्चाई - भोली-भाली भी है, और बड़ी संख्या में हैं आज भी हमारे गांव-कस्बे की लड़की को पहली बार घर से बाहर निकलती है, उसे दुनिया के छल का पता नहीं होता।

- तथ्य कः जब कोई बॉस कहता है - तुम्हारी नौकरी मैं पक्की करा दूंगा, बस मेरी बात मान लो - तो वह डर से, नौकरी जाने के भय से हां कर देती है। यह भोलापन नहीं, आर्थिक विवशता है।

- तथ्य खः जब कोई प्रेम का नाटक करके कहता है - मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम मेरी हो - तो वह उस वचन को सत्य मान लेती है। क्योंकि उसके संस्कारों में वचन ही सत्य है। बाद में जब वचन टूटता है, तब उसे पता चलता है कि वह छली गई। ऐसी स्त्रियों की संख्या कम नहीं है। इनके आंसू सच्चे होते हैं। शास्त्र इन्हीं के लिए कहता है- अबला नहीं, अवलंबनहीन कर दी गई।

मुख्य बिन्दु 2: दूसरी सच्चाई - प्रलोभन और मौज का आकर्षण भी एक यथार्थ है यह भी छिपाना अधर्म होगा कि सब केवल पीड़िता ही हैं। कलियुग में भोगवाद ने पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से बदला है।

- तथ्य कः महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, शहर में फ्लैट, दुकान में हिस्सेदारी, इंस्टाग्राम की चमक - इसका लोभ लड़के को जितना है, लड़की को भी उतना ही है।

- तथ्य खः कुछ संबंधों में स्पष्ट सौदा होता है - तुम मुझे घर-दुकान दिला दो, मैं

तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक लाभ मिल रहा है, मौज चल रही है, तब तक सहमति है। जब लाभ बंद, तो वह सहमति अचानक जबरदस्ती बन जाती है।

इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। पुलिस